भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5052
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

आरंभ की गई योजनाओं का कार्य निष्पादन

5052. श्री धनुष एम. कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान आरंभ की गई योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उक्त प्रत्येक योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) तमिलनाडु राज्य से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है ; और

(ग) मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आबंटित और उपयोग की गई निधि का योजना और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यायिक परिदान और विधिक सुधार मिशन, मिशन मोड परियोजना के अधीन 2017 में निम्नलिखित तीन कार्यक्रम आरंभ किए हैं :--

(1) टेली-विधि कार्यक्रम
(2) न्याय बंधु कार्यक्रम (प्रो बोनो विधिक सेवाएं)
(3) न्याय मित्र कार्यक्रम

इन तीन स्कीमों का ब्यौरे निम्नानुसार है :--

(i) टेली विधि कार्यक्रम : टेली विधि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के जरुरतमंद और अलाभकारी वर्ग, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के लिए हकदार व्यक्ति भी है, को 11 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर में 1800 सामान्य सेवा केंद्रों में उपलब्ध सुविधा वीडियो कांफ्रेसिंग और टेलीफोन के प्रयोग के माध्यम से जोड़ना है।

30 जून, 2019 तक 70,423 लाभार्थियों, जिसमें 26,592 (महिलाएं), 5473 (अनुसूचित जातियों), 9104 (अनुसूचित जनजातियों) और 15272 (अन्य पिछड़ा वर्ग) भी है, को विधिक सलाह दी गई है ।

समर्पित वेब पोर्टल (www.tale-law.in) पांच भाषाओं, जिनमें अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दु, बंगाली और असमिया भी शामिल है, में उपलब्ध कराया गया है । फरवरी, 2019 में, टेली-विधि मोबाइल एप्लीकेशन, विधिक सलाह के लिए पूर्व-रजिस्ट्रीकृत मामलों हेतु परा विधिक स्वयंसेवी (पीएलवी) और विधिक सलाह प्राप्तकर्ता के बीच अटूट संयोजकता समर्थ बनाने के लिए जारी की गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त टेली-विधि डैसबोर्ड, रजिस्ट्रीकृत किए गए मामलों और समर्थकारी सलाह पर रीयल टाइम डाटा के लिए आरंभ किया है।

(ii) प्रो बोनो विधिक सेवा : न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) योजना का उद्देश्य अधिवक्ताओं और पात्र वादकारियों को आनलाइन डाटाबेस के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करना है। यह कार्यक्रम वकीलों और पात्र वादकारियों के बीच सम्पर्क सुविधा द्वारा संपूर्ण देश में प्रो बोना विधिक सेवाओं की व्यवस्था को संस्थागत करने का एक प्रयास है। न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन (एप) सीमांत व्यक्तियों को, नि:शुल्क विधिक सेवा की वांछा करते हुए (जिन्हें आवेदक के रुप में निर्दिष्ट किया गया है) को अनुज्ञात करती है, रजिस्ट्रीकृत प्रो बोनो अधिवक्ताओं के साथ सहज रुप से सम्पर्क स्थापित करती है। एप हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

इस कार्यक्रम के अधीन सेवा संपूर्ण देश में उपलब्ध है। अब तक 561 वकीलों को प्रो बोनो सेवाएं देने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है और इस उद्देश्य के लिए बेव एप्लिकेशन पर 444 मामलें रजिस्ट्रीकृत किए गए है।

(iii) **न्याय मित्र**- न्याय मित्र कार्यक्रम, पुराने लंबित मामलों को कम करने, लंबित मालमों का महत्वपूर्ण विशलेषण करने, पूर्ववित्ता के आधार पर लोक अदालतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले पूर्व-लोक अदालतों में मामलों की पहंचान करने में जिला न्यायपालिका को सुकर बनाने के लिए 16 राज्यों के जिनमें राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड भी है, के 227 चयनियत जिलों में आरंभ किया है। 2017-18 के दौरान, 15 न्यायमित्रों को 15 जिलों पटना (बिहार), वीरभूम, हावड़ा, कूच बिहार, 24 नोर्थ परगना (पश्चिमी बंगाल); पश्चिमी त्रिपुरा (त्रिपुरा); गाजियाबाद, कुशीनगर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, (उत्तर प्रदेश); गंगानगर, जलौर, अलवर, भीलवाड़ा (राजस्थान) के लिए छ:मास (अक्तूबर, 2017- 31 मार्च, 2018) की संविदा अवधि पर नियुक्त किए गए थे। पुनर्विलोकन के पश्चात् चार न्याय मित्रों को राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्य में जनवरी, 2019 के पुनः नियुक्त किया गया।

(ख) : राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन के अधीन न्याय तक पहुंच के लिए टैली-विधि स्कीम एसपीवी, सीएससी ई-जीओवी के सहयोग से कार्यान्वित की गई है । न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवा) अधिवक्ताओ की ओर से स्वैच्छिक पहल है। न्याय मित्र के लिए, सेवानिवृत न्यायिक अधिकारिओं/सरकारी कार्यपालक अधिकारियों से आवेदन पत्र मागें गए है। अतः तमिलनाडु सहित किसी राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया/प्राप्त किया गया है।

(ग) : वर्ष 2017-18 में कुल 2.35 करोड़ रुपए की रकम टैली-विधि कार्यक्रम के अधीन आंबटित की गई थी और 22 लाख की रकम न्याय मित्र के अधीन आबंटित की गई थी । प्रो बोनो विधिक सेवाओं को एनआईसी द्वारा सृजित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समर्थ बनाया गया था, जिसके लिए कोई व्यय उपगत नहीं किया गया था। ये स्कीमें ऐसी निरंतर स्कीमें हैं जिसमें लाभार्थीयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2018-2019 में 2.73 करोड़ रुपये टैली विधि के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किए गए है और 1.50 करोंड़ रुपये तथा 3.93 करोड़ रुपये क्रमश: प्रो बोनो (सम्पुर्ण भारत) और न्याय मित्र कार्यक्रम (227 जिले) के लिए आबंटित किए गए है।

****